वित्तीय स्वीकृति

संख्या-1/2021/एक-8-2020-06/2020

प्रेषक,

महेन्द्र सिंह
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

चकबन्दी आयुक्त,
उ0प्र0, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-8 **लखनऊः दिनांकः 29 जनवरी, 2021**

विषयः-निष्प्रयोज्य/चोरी हुए वाहनों के स्थान पर नये वाहनों के क्रय हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-776/नाजिर/2016-17 दिनांक-19.11.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्यालय/बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के उपयोगार्थ निम्नांकित तालिका के कॉलम 2 में उल्लिखित निष्प्रयोज्य/चोरी हुए वाहनों के स्थान पर कॉलम 3 में उल्लिखित वाहनों को क्रय किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है:-

क्रम सं०	निष्प्रयोज्य वाहन संख्या एवं प्रकार	प्रतिस्थापन स्वरुप क्रय किये जाने वाले वाहन
1	2	3
1	यू0पी0-32 डब्लू-6536 (एन0आई0)	बोलेरो बी-2-बीएस-6
2	यू0पी0-21-सी0-7265 (जीप)	बोलेरो बी-2-बीएस-6
3	यू0पी0-33 ए0जी0-0266 (जीप)	बोलेरो बी-2-बीएस-6

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त प्रतिस्थापन स्वरुप क्रय किये जाने वाले वाहन प्रति वाहन मूल्य रूपये- 6,90,897=00 की दर से कुल रूपये 20,72,691=00 (रुपये-बीस लाख बहत्तर हजार छः सौ इक्यानबे मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर नियमानुसार व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) चकबन्दी विभाग द्वारा प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनों का क्रय किये जाने के पूर्व पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलाम किये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

गए वाहन सरकारी वाहन ही थे तथा वाहन के प्रतिस्थापन में द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(2) उक्त वाहनों का क्रय निर्धारित क्रय प्रक्रिया एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुये वाहन का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(3) चूँकि भारत सरकार द्वारा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर अनुबन्ध की व्यवस्था समाप्त करते हुये गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस जी0ई0एम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने की व्यवस्था प्रतिपादित किये जाने का उल्लेख है। अतः चकबन्दी विभाग द्वारा उक्त वाहनों का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही जी0ई0एम0 पोर्टल की दरों के आधार पर किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत वाहनों का वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक- 24.03.2020 का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-52 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4047-800-03-खेतों की चकबन्दी-0301-मुख्यालय-14-मोटर गाड़ियों का क्रय मद के नामे डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या:-ई-5-1571/दस-2020 दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

महेन्द्र सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज

(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) वित्त नियंत्रक, चकबन्दी मुख्यालय, लखनऊ।

(4) कोषाधिकारी, लखनऊ।

(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

(7) राजस्व अनुभाग-6/गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।